




Khirmandey - Ganai Motor Road (Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-15.57 hec. Gunakitan civil) 1:50000



Legend	
	Plantation Aera- 7.42 HEC
	Plantation Aera- 4.76 HEC
	Plantation Aera-1.73 HEC
	Plantation Aera-1.66 HEC

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]
 20/01/12
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Geo Reference Map Of Ca Land For Khirmandey Ganai Motor Road (Length 12.00 Km.) With Steel Girder Distt. Pithoragarh



Longitude	Latitude
30° 7' 10.632" E	29° 39' 37.314" N
80° 7' 12.613" E	29° 39' 36.434" N
80° 7' 16.130" E	29° 39' 35.692" N
80° 7' 18.714" E	29° 39' 36.171" N
80° 7' 18.309" E	29° 39' 39.922" N
80° 7' 16.412" E	29° 39' 42.496" N
30° 7' 14.377" E	29° 39' 43.192" N
30° 7' 11.341" E	29° 39' 41.666" N
80° 7' 7.470" E	29° 39' 39.579" N
80° 7' 7.015" E	29° 39' 38.190" N
80° 7' 7.456" E	29° 39' 37.062" N
80° 7' 9.293" E	29° 39' 37.028" N
80° 7' 3.202" E	29° 39' 27.855" N
80° 7' 1.905" E	29° 39' 24.849" N
80° 7' 4.664" E	29° 39' 24.684" N
80° 7' 6.839" E	29° 39' 24.092" N
80° 7' 7.798" E	29° 39' 25.482" N
80° 7' 9.513" E	29° 39' 27.580" N
80° 7' 8.059" E	29° 39' 29.716" N
80° 7' 5.592" E	29° 39' 31.498" N
80° 7' 5.151" E	29° 39' 32.725" N
80° 7' 1.454" E	29° 39' 32.449" N
30° 6' 58.325" E	29° 39' 31.257" N
30° 6' 56.068" E	29° 39' 30.163" N
30° 6' 52.569" E	29° 39' 28.106" N
30° 6' 53.147" E	29° 39' 26.496" N
30° 6' 54.092" E	29° 39' 26.816" N
30° 6' 55.344" E	29° 39' 24.977" N
30° 6' 56.496" E	29° 39' 25.369" N
30° 6' 58.590" E	29° 39' 24.963" N

31	80° 7' 0.591" E	29° 39' 25.351" N
32	80° 7' 2.059" E	29° 39' 28.189" N
33	80° 7' 33.725" E	29° 39' 22.926" N
34	80° 7' 35.587" E	29° 39' 23.817" N
35	80° 7' 33.006" E	29° 39' 27.389" N
36	80° 7' 30.998" E	29° 39' 27.856" N
37	80° 7' 29.727" E	29° 39' 27.754" N
38	80° 7' 28.232" E	29° 39' 26.159" N
39	80° 7' 30.342" E	29° 39' 26.159" N
40	80° 7' 31.923" E	29° 39' 22.758" N
41	80° 7' 37.036" E	29° 39' 13.838" N
42	80° 7' 39.590" E	29° 39' 14.135" N
43	80° 7' 41.298" E	29° 39' 13.492" N
44	80° 7' 45.767" E	29° 39' 14.542" N
45	80° 7' 44.705" E	29° 39' 16.548" N
46	80° 7' 39.734" E	29° 39' 15.881" N
47	80° 7' 36.404" E	29° 39' 14.613" N
48	80° 7' 35.016" E	29° 39' 13.744" N
49	80° 7' 33.348" E	29° 39' 13.557" N
50	80° 7' 33.580" E	29° 39' 12.723" N
51	80° 7' 34.779" E	29° 39' 12.419" N
52	80° 7' 35.908" E	29° 39' 12.887" N

Legend

- GPS Co ordinates
- CA Land

Signatures:

- महोदय (Signature)
- महोदय (Signature)
- महोदय (Signature)
- महोदय (Signature)


Notes:

- वर्षाई कार्य, सो.नि.दि.सि. (Annual work, Soc. Reg. Distt. Pithoragarh)
- वर्षाई कार्य, सो.नि.दि.सि. (Annual work, Soc. Reg. Distt. Pithoragarh)
- वर्षाई कार्य, सो.नि.दि.सि. (Annual work, Soc. Reg. Distt. Pithoragarh)

1.7

Khirmandey - Ganai Motor Road (Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-4.76 hec. Gunakitan civil)


1:600



FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 12.838" E	29° 39' 42.360" N
1	80° 7' 14.421" E	29° 39' 43.217" N
2	80° 7' 16.500" E	29° 39' 42.578" N
3	80° 7' 17.756" E	29° 39' 41.327" N
4	80° 7' 18.178" E	29° 39' 38.473" N
5	80° 7' 18.727" E	29° 39' 36.133" N
6	80° 7' 16.057" E	29° 39' 35.730" N
7	80° 7' 13.792" E	29° 39' 36.303" N
8	80° 7' 12.568" E	29° 39' 36.510" N
9	80° 7' 9.341" E	29° 39' 37.033" N
10	80° 7' 7.438" E	29° 39' 37.110" N
11	80° 7' 7.488" E	29° 39' 39.551" N
12	80° 7' 9.904" E	29° 39' 40.957" N
13	80° 7' 12.838" E	29° 39' 42.360" N

Legend


- GPS Points
- Plantation Area- 4.76 HEC


 सहायक अभियन्ता
 ज० ए० लो० नि० वि०
 डेरीनाग (पिथौरागढ़)
 जिला- पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
 ज० ए० लो० नि० वि०
 डेरीनाग (पिथौरागढ़)
 जिला- पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
 ज० ए० लो० नि० वि०
 डेरीनाग (पिथौरागढ़)
 जिला- पिथौरागढ़


Khirmandev - Ganai Motor Road (Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-7.42 hec. Gunakitan civil) 1:8000





FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 5.455" E	29° 39' 32.122" N
1	80° 7' 7.154" E	29° 39' 30.959" N
2	80° 7' 8.621" E	29° 39' 29.086" N
3	80° 7' 9.460" E	29° 39' 27.694" N
4	80° 7' 6.819" E	29° 39' 24.110" N
5	80° 7' 4.741" E	29° 39' 24.660" N
6	80° 7' 2.604" E	29° 39' 24.610" N
7	80° 7' 2.406" E	29° 39' 26.099" N
8	80° 7' 3.246" E	29° 39' 27.902" N
9	80° 7' 2.014" E	29° 39' 28.218" N
10	80° 7' 0.580" E	29° 39' 25.304" N
11	80° 6' 57.559" E	29° 39' 24.975" N
12	80° 6' 55.322" E	29° 39' 24.963" N
13	80° 6' 54.153" E	29° 39' 26.933" N
14	80° 6' 53.150" E	29° 39' 26.515" N
15	80° 6' 52.547" E	29° 39' 27.844" N
16	80° 6' 55.650" E	29° 39' 29.385" N
17	80° 6' 57.454" E	29° 39' 30.777" N
18	80° 6' 59.394" E	29° 39' 32.059" N
19	80° 7' 0.939" E	29° 39' 32.626" N
20	80° 7' 3.721" E	29° 39' 32.556" N
21	80° 7' 5.455" E	29° 39' 32.122" N


Legend


- GPS Points
- Plantation Area- 7.42 HEC



 गोपीबिहारी प्रसाद
 निधीराज्य तन् प्रमाण विधीयमान



 20/8/15
 गोपीबिहारी प्रसाद


 गोपीबिहारी प्रसाद


 लक्ष्मण अभियन्ता
 ४० ४० १०० नि० वि०
 देरीनाथ (विधीराज्य)


 लक्ष्मण अभियन्ता
 लक्ष्मण अभियन्ता, लक्ष्मण अभियन्ता
 देरीनाथ (विधीराज्य)


 गोपीबिहारी प्रसाद
 निधीराज्य तन् प्रमाण विधीयमान



आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/161/2020/एफ.सी./505 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में खिरमाण्डे-गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे० वन भूमि के बदले 15.570 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार गंगोलीहाट में खिरमाण्डे-गणाई मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 7.785 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुनाकिटान पट्टी गणाई तहसील गणाईगंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-37 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 03 रकवा 1.134 हे०, 151 रकवा 0.598 हे०, 165 रकवा 1.894 हे०, 228 रकवा 1.316 हे०, 1033 रकवा 1.054 हे०, 1515 रकवा 1.250 हे०, 1519 रकवा 0.878 हे०, 2407 रकवा 0.938 हे०, 2408 रकवा 1.750 हे०, 2455 रकवा 2.563 हे०, 2655 रकवा 0.875 हे०, 2719 रकवा 0.688 हे०, 2771 रकवा 0.632 हे० कुल 13 खेतों की 15.570 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाईगंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक जनवरी, 04, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 666 /सात- 23 /2022-23

दिनांक जनवरी, 06, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

रक्षक अग्रिम :-
MP
17/01/2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग



फोन नं०- 05964-244117 फैक्स नं०-05964-244622 ई-मेल-ecpwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1801/27सी दिनांक 21/01/2023
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी० /०६/161/2020/एफ०सी०/505 दि 05.08.2021(प्रति संलग्न)
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 15.57 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम-गुनाकिटान,पट्टी-सिमलता,तहसील-गणाई गंगोली में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल पलांटेसन से बचें। राज्य शासन द्वारा सही खसरा नम्बर की जानकारी प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार ऑनलाईन(पार्ट-2) में सुधार किया जायेगा।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 666/सात-23/2022-23 दिनांक 06.01.2023 द्वारा 15.57 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख)रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए. 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वागित्त से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	मान्य है।

ASL

	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाउचर संख्या 02 दिनांक 10.02.2022(आई0डी0W03801422902221001 date 9-02-2022) एवं बाउचर संख्या 03दिनांक10.02.2022(आई0डी0W03801422902221002 date 9-02-2022)द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 7.785 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाउचर संख्या 02 दिनांक 10.02.2022(आई0डी0W03801422902221001 date 9-02-2022) एवं बाउचर संख्या 03दिनांक10.02.2022(आई0डी0W03801422902221002 date 9-02-2022)द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 62 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटौते अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	राज्य सरकार 12 कूड़ा निस्तारण स्थलों को दर्शाने वाली के0एम0एल0फाईल आंन लाईन पोर्टल पर अपलोड करेगी।	मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
9	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों	मान्य है।

	किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमित साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backword bearings अंकित हो।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
24	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

/

[Signature]
(इं० संजीव भट्ट)

अधिसासी अभियन्ता

अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।
दिनांक 21/01/2023

पत्रांक

180 / 27सी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

/

अधिसासी अभियन्ता

अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

21/01/23

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 5(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत है।




कनिष्ठ अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग। अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।



सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।



अधिसासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।

36 बंजर - 110 कठो

8	1-								
* 2	24113		1.107						
99	2411		1.112						
82	31								
925	11		1.112						
* 924	22011		1.538						
923	221-		1.506						
924	24113		1.024						
* 922	24113		1.037						
222	24113		1.05						
260	11		1.02						
220	11-		1.011						
225	93		1.024						
225	24113		1.974						
225	24113		1.24						
225	24113		1.026						
203	24113		1.114						
229	9		1.020						
230	2		1.000						
209	93		1.024						
228	11		1.013						
208	24113		1.485						
2070	9		1.020						
* 2023	24113		1.057						
2020	24113		1.030						
2020	24113		1.059						

राज्य कृषि विभाग-2, उत्तरकाशी जिला के अधीनस्थ अन्वय-2154/KV(III)(D) 2522-12 (2522)/210 धानिक
 24-12-2022 एवं कार्यालय जिलाधिकारी धानिकराज के कार्यालय अन्वय-2154/KV(III)(D) 2522-12 (2522)/210 धानिक
 जनश्री, 10/1/2023 के अध्यायन में शामिल किए गए धानिकराज में निम्नलिखित - 2522 धानिकराज में निम्नलिखित
 रसी शामिल हैं व धानिकराज के अधीनस्थ अन्वय-2154/KV(III)(D) 2522-12 (2522)/210 धानिकराज में निम्नलिखित
 जमीन शामिल की जाएगी जिसका विवरण निम्नलिखित है - 2522 धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित
 के अन्वय अन्वय-2154/KV(III)(D) 2522-12 (2522)/210 धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित
 2522 धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित
 रसी 1.150 हे, 1.150 रसी 1.150 हे, 1.150 रसी 1.150 हे, 1.150 रसी 1.150 हे, 1.150 रसी 1.150 हे, 1.150 रसी 1.150 हे,
 2522 धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित धानिकराज में निम्नलिखित
 शामिल हैं।

1/10/23
 21/1/23
 जिलाधिकारी
 धानिकराज

24-12-2022

84
27/1/23
19/01/2023

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/161/2020/एफ.सी./505 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में खिरमाण्डे-गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे० वन भूमि के बदले 15.570 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार गंगोलीहाट में खिरमाण्डे-गणाई मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 7.785 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुनाकिटान पट्टी गणाई तहसील गणाईगंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-37 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 03 रकवा 1.134 हे०, 151 रकवा 0.598 हे०, 165 रकवा 1.894 हे०, 228 रकवा 1.316 हे०, 1033 रकवा 1.054 हे०, 1515 रकवा 1.250 हे०, 1519 रकवा 0.878 हे०, 2407 रकवा 0.938 हे०, 2408 रकवा 1.750 हे०, 2455 रकवा 2.563 हे०, 2655 रकवा 0.875 हे०, 2719 रकवा 0.688 हे०, 2771 रकवा 0.632 हे० कुल 13 खेतों की 15.570 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाईगंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जनवरी, 04, 2023

(रीना जोशी)


जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 666 /सात- 23 /2022-23

दिनांक जनवरी, 06, 2023


- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
 4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।



(रीना जोशी)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

खसरे अर्जन :-


17/01/23

Date - 9-2-2022

Section ID - WO3801422902221001

E-Sign

आकसिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
 (देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

- 1- जनपद का नाम : पिथौरागढ़
- 2- कोषागार का नाम : बेरीनाग
- 3- देयक की अवधि कब से कब तक
- 4- रिकार्ड कोड
- 5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
- 6- देयक पंजी की क्रम संख्या
- 7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)
- 8- मतदेय/भारित
- 9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 तृतीय शीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)
- 10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
- 11- आहरण वितरण अधिकारी के कोड
- 12- अधिष्ठान का नाम
- 13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य
- 14- अनुदान संख्या Connect अनुदान संख्या

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
तृतीय शीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)
वाउचर दिनांक	

1	0	3
3	8	0
2	3	
0		

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10- अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
 11- अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

4	2	2	9
---	---	---	---

12- अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस वित्त को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	24242297	20484208	3758089

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	90,00,000
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समापोजन के बाद)	90,00,000

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	90,00,000

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की प्रामाण्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवपत्तों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

बेरीनाग (पिथौरागढ़)


कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

(केवल काउन्टरसाइन्स के द्वारा ही प्रकरण में ही जाया होगा) (पदनाम एवं कार्यस्थल की मुहर)

नगराशि ₹ 90,00,000 (Rupees Ninety Lacs Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
 क्रमण द्वारा ₹ 0 -
 कुल धनराशि ₹ 90,00,000

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422902221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896147083956	9000000	0	0	9000000
				9000000	0	0	9000000


 कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
 भारतीय डाक, लोक निर्माण विभाग
 के सी. (नियंत्रण)

Head of Account Khirkmonde Granai motor Road

FORM No. - 28 HAND RECEIPT
(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

Cash-book Voucher No. 62 dated 10/1/22
(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (90,00,000) = to C.A.M.P.A

(2) Paid by me
RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Beinaag
Sub-Division A.E. Division the sum of the

Rs. (Ninety Lakh only)
Name of work or purpose for which is made N.P.V. S


Compensatory afforestation payment
(Amount in Vernacular)
₹ 90,00,000/-

Date

Witness
30/01/22 0222001
4-2-22 90 00000-

E.E.

Signature of Payees
बेरीनाग (पि.व.ड.)
स्वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग



--	--	--	--

कार्यालय अधिशासी

पत्रांक 181

- प्रतिलिपि -
- 1- सम्बन्धित ठेकेदार
 - 2- देयक हेतु
 - 3- उपकोषाधिकारी, बेरीनाग।

18-03-2022

Date - 9-2-2022

Bill Type : Normal

Transaction ID - WO3801422902221002

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

- 1- जनपद का नाम : पिथौरागढ़
- 2- कोषागार का नाम : बेरीनाग
- 3- देयक की अवधि कब से कब तक
- 4- रिकार्ड कोड
- 5- कोषागार/उपकोषागार का कोड

1 0 3

3 8 0 1

2 4

0

लेखाशीर्षक सम्यन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा रोतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04)District and other Roads
तृतीय शीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन0पी0वी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

वाउचर दिनांक

देयक पंजी की क्रम संख्या

वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

मतदेय/भारित

: मतदेय

लेखाशीर्षक सम्यन्धी 13 अंको का कोड (4

5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

मुख्य लेखाशीर्षक +

उपमुख्य शीर्षक +3 तृतीय शीर्षक+2

उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

10-आहरण वितरण अधिकारी का प्रदत्त

अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4 2 2 9

12- अधिष्ठान का नाम

: अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिरिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	24242297	24242297	0

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	37,58,089
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	37,58,089

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	37,58,089

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की पूर्ण अनुपालना के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

बेरीनाग (पिथौरागढ़)


कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

(केवल कार्टर/इंजीनर/कंस्ट्रक्शन के प्रकरण के लिए ही लागू होगा) (प्रदत्त एवं कटौतियों की मुहर)

₹ 37,58,089 (Rupees Thirty Seven Lacs Fifty Eight Thousand Eighty Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP3801422902221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896147083956	3758089	0	0	3758089
					3758089	0	0	3758089


सहायक कोषाधिकारी
राजस्थान राज्य, लोक सभाय विभाग
के. जे. (विशेषाधिकार)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-02-2022

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6147083956
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/161/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD BerlinagPithoragarh
Amount(In Rs)	12758089.14/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Seven Lakh Fifty-Eight Thousand and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896147083956 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-02-2022

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6147083956
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/161/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD Berlinag Pithoragarh
Amount(In Rs)	12758089.14/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Seven Lakh Fifty-Eight Thousand and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896147083956 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Head of Account ... Khirmande Ganai motor Road

FORM No. - 28 HAND RECEIPT
(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

Cash-book Voucher No. 03 dated 10/2/22
(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (37,58,089) = to C.A.M.P.A
(2) Paid by me

RECEIVED from the E.F. Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag
Sub-Division A.E. Division the sum of the


Rs. (Thirty seven lakh fifty eight thousand eighty Not)

Name of work or purpose for which is made
N.P.V. & Compensatory Afforestation
Payment (Amount in Vernacular)

Date 5/5 For Rs 37,58,089 =

Witness
3801422292 2/502
9-2-22 Rs 37,58,089 =
[Signature]

Signature of Payees
[Signature]
बिनायक
बस्वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (विष्णुराव)



--	--	--

कार्यालय अधिशा

पत्रांक 180

- प्रतिलिपि - 1- सम्बन्धित ठेकेदार
2- देयक हेतु
3- उपकोषाधिकारी बेरीनाग।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या- 295 / सात-भू.ह./2022-23

दिनांक मई, 06, 2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
बेरीनाग।


विषय- जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सुकल्याड़ी बैंड से पम्पा मन्तोली गुरैना आगर मोटर मार्ग हेतु 1.8 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-148/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-प्रस्ताव/(पेशकार)2024 दिनांक 29.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सुकल्याड़ी बैंड से पम्पा मन्तोली गुरैना आगर मोटर मार्ग हेतु 1.8 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम गुरैना की 3.6 हे० राज्य भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु प्रस्ताव तहसीलदार बेरीनाग की आख्या दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अवगत कराते हुए प्रेषित प्रस्ताव की छाया प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।


इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार बेरीनाग के पत्र संख्या-825/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-प्रस्ताव/र.का./2023-24 दिनांक 22.09.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु निम्नानुसार अभिलेख/आख्या अपेक्षित हैं-

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का नक्शा, खसरा, नकल खतौनी मूल प्रतियां।
3. ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अतः प्रकरण में उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अपनी आख्या/संस्तुति सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड बेरीनाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।